COURT FEE 20रु. कोर्ट फी Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वलियर

(115)

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण निग/3175/I/15

1. विजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जैन
2. अजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जैन
3. सुबोध कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जैन
4. सतीश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जेन

समस्त निवासीगण ग्राम अथाईखेडा तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा आज दि. 22/9/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 22/9/15

मुकेश भार्गव 22-9-15 एडवोकेट ग्वालियर

विरूद्ध

1. संदीप कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ए.एम. 236 सेक्टर –2 सुखलिया इंदौर तह. व जिला इंदौर (म.प्र.)
2. अशोक जैन पुत्र मिन्टूलाल जैन
3. अरविंद जैन पुत्र मिन्टूलाल जैन
4. आदेश जैन पुत्र मिन्टूलाल जैन
5. जितेन्द्र जैन पुत्र मिन्टूलाल जैन

क्रं. 2 ता 5 निवासीगण नई सडक गुना तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 12 अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.9.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3175–एक/15 **जिला** अशोकनगर

विजय कुमार आदि विरूद्ध संदीप कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री सूरजसिंह लोधी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 12/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 संदीप कुमार जैन ने सगी बुआ मुन्नोबाई उर्फ गुन्नोबाई उर्फ गुणमाला जैन की रिजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24–5–2013 के आधार पर संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर परगना मुंगावली स्थित प्रश्नाधीन भूमियां के नामांतरण बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया। जिसपर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–9–15 आवेदकगण का आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन निरस्त किया। अनावेदक अभिभाषक का तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि अनावेदक द्वारा वसीयतकर्ता	

गुणमाला जैन के वारिसों को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसपर वारिसों द्वारा अनावेदक कमांक 1 के नामांतरण किये जाने कोई आपत्ति नहीं है उनकी पूर्ण सहमति है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत सजरा खानदान एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है आवेदकगण एवं अनावेदकगण के बाबा के भाई के पौत्र हैं जिनका आपस में बटवारा हो चुका है और अपने हिस्से के मुताबिक वे 1/3 हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं। चूंकि कुन्जलाल के एक मात्र पुत्र गुल्जारीलाल जैन की पुत्री गुणमाला जैन का भतीजा अनावेदक संदीप जैन है तथा गुणमाला जैन द्वारा अनावेदक कमांक 1 संदीप कुमार जैन को रजिस्टर्ड वसीयत कर अपना हिस्सा प्रदान किया है तथा गुणमाला जैन की पुत्र एवं पुत्रियों ने नामांतरण में सहमति दी है फिर उनके बाबा के पौत्रों को उक्त नामांतरण में किसी प्रकार से कोई हित अथवा हक प्रकट नहीं होता है। इसके पूर्व प्रश्नधीन भूमि के संबंध में नंदनलाल जैन के वारिसों की ओर से भी व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया गया था जो प्रकरण कमांक 16ए/2001 आदेश दिनांक 24–7–04 के द्वारा उनका स्वत्व नहीं माना था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने एवं मान0 उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा द्वितीय अपील कं 685/04 में पारित आदेश दिनांक 22–7–2011 से भी उक्त आदेश को उचित माना था। एक बार स्वत्व के विवाद का निराकरण हो जाने के पश्चात नंदनलाल जैन के भाई बाबूलाल जैन के वारिसों विजय कुमार आदि (आवेदकगण) द्वारा इस नामांतरण प्रकरण में अपना हक संबंधी तथ्य के साथ आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने का अनुरोध किया, जिसे नायब तहसीलदार ने उचित निष्कर्ष निकालते हुये निरस्त किया है।

नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–9–15 में किसी प्रकार अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकटा नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश यह निगरानी निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 16–9–15 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नायब तहसीलदार को वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य